

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या-1470 / 2008 / भीलवाड़ा

3. अपील संख्या- 1988 / 2008 / भीलवाड़ा

2. अपील संख्या-2021 / 2008 / भीलवाड़ा

4. अपील संख्या- 1989 / 2008 / भीलवाड़ा

5. अपील संख्या- 1990 / 2008 / भीलवाड़ा

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष-वृत,
भीलवाड़ा

.....अपीलार्थी

मैसर्स ममता सर्जिकल कॉटन इण्डस्ट्रीज
गुलाबपुरा, भीलवाड़ा

.....अपीलार्थी

बनाम

बनाम

मैसर्स ममता सर्जिकल कॉटन इण्डस्ट्रीज
गुलाबपुरा, भीलवाड़ा

.....प्रत्यर्थी

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष-वृत,
भीलवाड़ा

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

श्री के.एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एस.के.जैन,

अधिवक्ता

श्री आर.के.अजमेरा,

उप राजकीय अधिवक्ता

.....व्यवसायी की ओर से

.....विभाग की ओर से

निर्णय

निर्णय दिनांक : 25.05.2017

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील संख्या 1988,1989,1990 / 2015 उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध पेश की गयी हैं जिनके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष-वृत, उदयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित निर्धारण आदेश को आंशिक रूप से स्वीकारते हुए आरोपित कर व ब्याज राशि को यथावत रखते हुये शास्ति को अपास्त किया है। इसी प्रकार विभाग द्वारा कर व ब्याज के बिन्दु पर अपील संख्या 1470, 2021 / 2008 प्रस्तुत की गयी हैं।

2. प्रस्तुत अपीलों में विवादित मुख्य बिन्दु समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की मूल प्रति पत्रावलियों पर पृथक से रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि उक्त अपील में उपायुक्त अपील्स, उदयपुर द्वारा अपीलार्थी व्यवसायी के वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 की अवधि के लिये पारित निर्णय दिनांक 01.03.2008 को चुनौती दी गई है, जिसमें अपीलार्थी की सर्जिकल कॉटन की बिक्री को कॉटन से निर्मित (Manufactured) अन्य वस्तु मानकर पुनः करयोग्य माना गया है, जबकि अपीलार्थी का यह कथन था कि सर्जिकल कॉटन व कॉटन एक ही वस्तु है तथा कॉटन कर चुका होने से पुनः सर्जिकल कॉटन पर टैक्स नहीं लगाया जा





लगातार.....2

अपील संख्या-1470/08, 2021/08, 1988/08, 1989/08 व 1990/2008, भीलवाड़ा.

सकता। अतः राज्य के भीतर एवं अन्तर्राज्यीय विक्रय में किये गये सर्जिकल कॉटन पर यथावत रखे गये कर के विरुद्ध निम्नतालिकानुसार व्यवहारी व विभाग द्वारा पृथक्-पृथक् अपीलें अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है।

अपील सं.	अपी.अधि. की अपी सं.	कर.नि. आ. दि.	वर्ष	कर	ब्याज	शास्ति
1470/08	129/CST/Resto/06-07	31.03.04	01-02	2,57,874/-	1,13,140/-	-
2021/08	23/CST/06-07	31.03.04	02-03	10,74,335/-	4,85,193/-	-
1988/08	130/CST/Resto/06-07	31.03.04	01-02	2,57,874/-	-	4,770/-
1989/08	24/RST/Resto/06-07	29.03.05	02-03	23,413/-	-	2,220/-
1990/08	23/CST/06-07	31.03.04	02-03	10,74,335/-	-	2,261/-

उक्त प्रकरण वर्ष 2001-02 में अपील निर्णय में सर्जिकल कॉटन पर आरोपित ब्याज 1,13,140/- को अपास्त करने के विरुद्ध राजस्व द्वारा चुनौती दी गई है तथा वर्ष 2002-03 में अन्तर्राज्यीय व्यवहार में कर चुके माल एवं कर योग्य माल पर घोषणा पत्र सी-फार्म के बिना चार प्रतिशत की कर दर होने का निर्णय करना अविधिक मानकर राजस्व द्वारा चुनौती दी गई है।

प्रकरण राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 के प्रावधानों से सम्बन्धित है। इस के विवादित बिन्दु पर विवेचन के पूर्व अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा किये गये खरीद बिक्री एवं निर्माण कार्य का उल्लेख किया जाना उचित है। प्रकरण में व्यवहारी द्वारा रॉ कॉटन की खरीद कर चुका कर की जाती है। उसके पश्चात कॉटन के अलावा कॉटन पर एक औद्योगिक प्रोसेसिंग के पश्चात नई वस्तु के रूप में सर्जिकल कॉटन का उत्पादन कर उसका भी विक्रय किया जाता है। कॉटन से सर्जिकल कॉटन बनाने का यह कार्य व्यवहारी द्वारा वर्ष 1990 से किया जा रहा है एवं इस संबंध में कॉटन एवं सर्जिकल कॉटन की कर दर को लेकर वर्ष 1992-93 से ही विवाद न्यायालयों में विचाराधीन रहें। अपीलार्थी द्वारा वर्ष 1992-93 से 1997-98 तक के कर निर्धारणों में भी यह विवाद किया गया था कि कॉटन से सर्जिकल कॉटन का उत्पादन किया जाना निर्माण की परिभाषा में नहीं आता है। अतः वर्ष 1992-93 से 1997-98 के मध्य की अवधियों में कॉटन पर कर दर संबंधी अधिसूचनाओं में अंकित कर एक बार चुकाने के पश्चात उस कॉटन से उत्पादित सर्जिकल कॉटन भी कर चुकी श्रेणी में रहेगी एवं उस पर पुनः दुबारा करारोपण नहीं किया जा सकता।

उक्त विधिक विवाद में माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा सर्जिकल कॉटन को निर्माण के रूप में अलग वस्तु मानते हुए इस पर दोबारा किये गये करारोपण को विधिसम्मत माना गया जिसके विरुद्ध व्यवहारी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिविजन किया जाने पर माननीय उच्च न्यायालय ने भी इसकी पुष्टि की। उक्त निर्णय के विरुद्ध व्यवहारी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका संख्या 7085-7093/2005 दायर की गई जिसे स्वीकार करते हुये माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विवादित बिन्दुओं पर निम्न निर्णय दिया गया :-

(i) यह माना गया कि सामान्य कॉटन से सर्जिकल कॉटन का उत्पादन एक विशिष्ट प्रोसेस के जरिये किया जाता है जिसमें कई प्रक्रियाओं से गुजरने के पश्चात जो सर्जिकल





लगातार.....3

अपील संख्या-1470/08, 2021/08, 1988/08, 1989/08 व 1990/2008, भीलवाड़ा.

कॉटन के रूप में निर्मित होती है वह सामान्य कॉटन से पूर्णतया भिन्न उत्पाद है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न न्यायिक निर्णयों के अधीन इसे एक नई वाणिज्यिक वस्तु मानते हुये कर निर्धारण अधिकारी के निर्माण सम्बन्धी निर्णय को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किया जाना विधिसम्मत घोषित किया है।

(ii) माननीय उच्चतम न्यायालय ने सर्जिकल कॉटन पर कर दर के निर्धारण में यह पाया कि वर्ष 1992-93 में कॉटन पर कर के संबंध में जो प्रविष्टि संख्या 16 में अंकित थी वह निम्न थी Cotton that is to say all kinds of cotton (indigenous or imported), whether ginned or unginned, baled, pressed or otherwise including cotton waste. इसके पश्चात वर्ष 1993-94 के लिये प्रविष्टि दिनांक 12.04.1994 को निम्न प्रकार अधिसूचित की गई :-

Cotton that is to say all kinds of cotton (indigenous or imported), whether ginned or unginned, baled, pressed or otherwise including cotton waste and Absorbent Cotton wool IP

उसके पश्चात दिनांक 27.03.1995 को कॉटन पर कर दर सम्बन्धी नई अधिसूचना जारी की गई जो निम्न थी Cotton as defined in clause (iv) of section 14 of the central sales tax Act 1956 including absorbent cotton wool IP cotton waste .

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कॉटन एवं सर्जिकल कॉटन पर करारोपण के मामले में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं की व्याख्या करते हुये यह निर्णय दिया कि वर्ष 1992-93 में चूंकि कॉटन के साथ Absorbent शब्द अंकित नहीं था अतः वर्ष 1992-93 में सर्जिकल कॉटन पर अलग से कर देय होगा परन्तु वर्ष 1993-94 एवं वर्ष 1995 में जारी अधिसूचनाओं में कॉटन के साथ Including Absorbent Cotton के जोड़े जाने से यह अभिप्राय प्राप्त होगा कि राज्य सरकार द्वारा कॉटन व सर्जिकल कॉटन को एक ही वस्तु माना गया है, अतः कॉटन से सर्जिकल कॉटन निर्मित होने पर भी उसे कॉटन ही मानते हुये दोबारा करारोपण नहीं किया जा सकता

इस तरह माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वयं अपीलार्थी व्यवहारी के मामले में यह निर्णित कर लिया है कि सर्जिकल कॉटन अलग वस्तु है परन्तु किसी भी अवधि में तत्समय प्रवृत्त अधिसूचित कर दर अनुसार ही करारोपण किया जा सकता है एवं कॉटन के साथ Including Absorbent Cotton होने से तथा Absorbent Cotton में सर्जिकल कॉटन सम्मिलित होने से (अर्थात् सर्जिकल कॉटन एक Absorbent Cotton ही होने से) उस पर दोबारा कर देयता नहीं होगी।

चूंकि अपीलार्थी व्यवहारी के स्वयं के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कर दर की अधिसूचना में कॉटन के साथ Including Absorbent Cotton स्थापित करने पर सर्जिकल कॉटन पर अलग से दोबारा करारोपण अविधिक माना है, ऐसी स्थिति में उक्त अपीलाधीन प्रकरणों की अवधियों में प्रवर्तनीय कर दर की अधिसूचनाओं का परीक्षण किया गया तो पाया कि वर्ष 2001-02 व वर्ष 2002-03 में जारी अधिसूचनाओं की प्रविष्टि



अपील संख्या-1470/08, 2021/08, 1988/08, 1989/08 व 1990/2008, भीलवाड़ा.


संख्या 32 में वही प्रविष्टि अंकित है जो माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विवादित मामलों में दिनांक 27.03.1995 को प्रवृत्त थी जो इस प्रकार थी :- के.वि.क.अ., 1956 की धारा 14 के खण्ड (ii) में यथा परिभाषित कपास, अधिशोषित कपास, उन आई पी व कपास की छीजत का सम्मिलित करते हुये.


उक्त प्रविष्टि चूंकि वर्ष 1995-96 में प्रवृत्त प्रविष्टि से हूबहू समान है अतः उक्त विवादित प्रकरणों में भी सर्जिकल कॉटन पर दोबारा कर आरोपित नहीं किया जा सकता तथा विक्रय की गई सर्जिकल कॉटन भी कर चुका (ST PAID) ही मानी जायेगी अतः सर्जिकल कॉटन पर आरोपित कर एवं अनुवर्ती ब्याज अपास्तनीय है। उक्त प्रकरणों में अन्तर्राज्यीय विक्रय संव्यवहारों में भी सर्जिकल कॉटन के कर चुका माल माना जाने के निर्णय से उस पर राज्य सरकारी की अधिसूचना क्रमांक 86-37 दिनांक 15.10.1986 के आलोक में कोई कर आरोपणीय नहीं है क्योंकि उक्त अधिसूचना से कर चुका माल पर करारोपण को मुक्त किया गया है व अधिसूचना को उद्धरित किया जाता है - In exercise of the powers conferred by S.8(5), CST Act, 1956, the State Govt. [2.] hereby directs that no tax under the said Act shall be payable in respect of sale of goods declared by S.14 of The said Act to be of special importance in inter-State trade or commerce, by a dealer having his place of business in the State, from any such place of / business in the course of inter-State trade or commerce, on the condition that such dealer proved to the satisfaction of the AA that tax at full rate, without availing of concessional or reduced rate, under the RST Act, 1954 has been paid in respect of the said goods. फलतः अन्तर्राज्यीय विक्रय पर कर चुका सर्जिकल कॉटन पर अनुवर्ती कर व ब्याज अपास्त किये जाते हैं।

राजस्व की ओर से अन्तर्राज्यीय व्यवसाय में करारोपण में सी-फार्म के आवश्यकता संबंधी अपील उक्त निर्णय के आलोक में स्वतः ही सारहीन हो जाती है क्योंकि व्यवहारी का समस्त माल करदत्त माना जाने से कोई कर देय नहीं है। इसी तरह राजस्व द्वारा ब्याज के विरुद्ध प्रस्तुत अपील सारहीन हो गई है।

उक्तानुसार माननीय उच्चतम न्यायालय के अपीलार्थी व्यवहारी के मामले में सिविल अपील संख्या 7085-7093/2005 एवं सिविल अपील संख्या 7094-7097/2005 में दिनांक 23.01.2014 में दिये गये निर्णय के पश्चात अन्य किसी विवेचना की आवश्यकता नहीं रह जाती है। फलतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें उक्तानुसार कर व ब्याज के बिन्दु पर स्वीकार की जाती हैं एवं राजस्व की अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य


(खेमराज)
अध्यक्ष